न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या–02, महराजगंज
सेशन परीक्षण संख्या–5/2009
उ0प्र0 राज्य.............प्रति......... जावेद

मुकदमा अपराध संख्या–1115/2008
धारा–8/20 NDPS Act
थाना–कोठीभार, जनपद महराजगंज।
20.07.2026

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत है। पुकार करायी गयी। अभियुक्त **जावेद** गैर हाजिर। अभियुक्त जावेद के विरुद्ध न्यायालय द्वारा पूर्व में गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया गया था जिसके सम्बन्ध में उप निरीक्षक बृजभान यादव द्वारा जावेद के घर में दबिश दी गयी और यह पता चला कि अभियुक्त की मृत्यु दिनांक 20.07.2022 को गुजरात में हो गयी है। परिवार द्वारा गुजरात सरकार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी।

अभियुक्त की मृत्यु के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने की आख्या पत्रवाली पर प्रस्तुत है।

अभियुक्त की मृत्यु आख्या को कोर्ट विटनेस सी0 डब्लू संख्या–1 **उपनिरीक्षक बृजभान यादव** के द्वारा कथन किया गया है कि " दिनांक 20.06.2024 से 24.12.2024 तक मैं चौकी प्रभारी सिसवा बाजार थाना कोठीभार जनपद महराजगंज में तैनात था। उपरोक्त मुकदमें से संबंधित जावेद पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी गजरु टोला सिसवा बाजार थाना कोठीभार जनपद महराजगंज का अभियुक्त के रूप में गैर जमानतीय वारंट प्राप्त हुआ। मेरे द्वारा लोगों से जानकारी करते हुए उक्त अभियुक्त के घर दबिश दिया गया तो यह ज्ञात हुआ कि वारंटी / अभियुक्त की मृत्यु दिनांक 20.07.2022 को गुजरात में हो गया है। परिवार के द्वारा गुजरात सरकार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण की छायाप्रति दिया गया, जो संलग्न पत्रावली है, तथा वारंट अदम तामिल आवश्यक कार्यवाही हेतु वापस किया गया था। साक्षी को पत्रावली में शामिल प्रपत्र संख्या 58 ख/1 अभियुक्त का गिरफ्तारी अधिपत्र का पृष्ठ भाग, 58 ख/2 अभियुक्त के मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति को साक्षी दिखाया गया तो साक्षी ने बताया कि 58 ख/1 के पृष्ठ भाग पर लगा मृत्यु आख्या के संबंध में रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसका मैं शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श ग 1 डाला गया। साक्षी कागज संख्या 58 ख/2 की छायाप्रति देखकर बताया कि इस मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति को मृतक के परिजनों से प्राप्त कर न्यायालय प्रेषित किया था, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श ग 2 डाला गया।"

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

साक्षी के बयान एवं साक्षी द्वारा साबित दस्तावेज के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त की मृत्यु दिनांक 20.07.2022 को चुकी है।

आदेश

अभियुक्त **जावेद** पुत्र अब्दुल गफ्फार के विरूद्ध प्रकरण उपशमित (अवेट) किया जाता है। पत्रावली में कोई अन्य अभियुक्त न होने के कारण इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः20.07.2026

(अलख कुमार)
आई.डी. नम्बर–यू.पी.3826
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–2,
महराजगंज।

Digitally signed by ALAKH KUMAR
Date: 2026.07.22 16:16:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court